

go a long way in strengthening our national economy and in bringing about a genuine equalitarian society, which was the dream of the Father of our Nation."

I request the Government. If it is not possible in this Session itself, at least, in the next Session, we should have a discussion on the recommendations of the Dr. Gopal Singh Panel and Government should take immediate steps to implement the recommendations of this Panel.

#### Lack of Civic amenities for Jhuggi dwellers in Bombay

श्रीमती सुरेखा पाटिल : (महाराष्ट्र) : माननीय, उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं इस सदन का ध्यान केन्द्र सरकार की भूमि पर बसी झुगियों को नागरिक सुविधायें प्रदान किये जाने की ऐसी महत्वपूर्ण समस्या की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ जो पिछले दम-बारह वर्षों से केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के सम विचाराधीन हैं किन्तु आज तक भी इस संबंध में कोई निर्णय नहीं हो सका है।

21 अप्रैल 1987 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और आवास मंत्री ने केन्द्रीय मंत्रियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की और केन्द्रीय मंत्रियों के साथ परामर्श के बाद मुख्य मंत्री ने मुंबई हवाई अड्डे के रास्ते को दोनों ओर की भूमि, जहाँ चिड़ियाओं का खतरा रहता है, तथा रक्षा मंत्रालय की ऐसी भूमि को छोड़कर जहाँ महत्वपूर्ण संस्थान बनाने आवश्यक हो सकते हैं, शेष स्थानों पर बनी झुगियों को नागरिक सुविधायें प्रदान करने का काम शुरू करने का निर्णय लिया। राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को यह भी आश्वासन दिया कि जिस भूमि पर बसी झुगियों को नागरिक सुविधायें प्रदान की जायेंगी उस भूमि का किसी प्रकार का कोई पट्टा नहीं किया जायेगा और उस पर स्वामित्व केन्द्र सरकार का ही रहेगा। साथ ही जब भी केन्द्र सरकार को उसकी सही जरूरत होगी तो किसी प्रकार की भी क्षति-पूर्ति का दावा किए बिना वह भूमि केन्द्र को वापस सौंप दी जायेगी।

इसके तहत माननीय रेल मंत्री पहले तो रेल लाइनों के दोनों ओर 50 फीट तक झुगियाँ हटा लिए जाने की बात की और बाद में यह दूरी घटा कर 30 फीट कर दी बशर्ते कि महाराष्ट्र सरकार 30 फीट की दूरी पर दीवार बना दें। राज्य सरकार रेल लाइन के दोनों ओर 30 फीट तक झुगियाँ तो हटा सकती है और उन्हें 30 फीट की दूरी पर बसा सकती है बशर्ते कि रेल प्रशासन झुग्गी पुनर्स्थान कार्यक्रम के लिए भूमि की लीज कर दे। लेकिन रेलवे की मांग है कि 30 फीट हदबंदी पर शीवार बनाई जाए। और बनने के लिए धन सामान्य योजना से नहीं जुटाया जा सकता। धन जुटाने का काम विश्व बैंक परियोजनाओं और प्रधान मंत्री अनुदान कार्यक्रम से सम्भव हो सकता है लेकिन इसके लिए भूमि पर पट्टा करना होगा जिसके आधार पर ऋण लिया जा सके। यह प्रस्ताव मध्य रेलवे के विचाराधीन है। मुख्य मंत्री महोदय ने इस समस्या पर रेल राज्य मंत्री के साथ विचार किया है। 31 जनवरी, 1989 को आवास सचिव ने रेलवे बोर्ड के सदस्य तथा रेलवे के मह प्रबन्धकों के साथ भी इसकी चर्चा की। उनकी प्रतिक्रिया सकारात्मक है। राज्य सरकार का कहना है कि 30 फीट से परे की 12 एकड़ भूमि पर, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, प्रथम चरण के तौर पर काम शुरू किया जा सकता है। राज्य सरकार ने रेलवे बोर्ड से अनुरोध किया है कि 48 एकड़ भूमि न छोड़ने के अपने पूर्व निर्णय पर वह पुनर्विचार करे।

मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करती हूँ कि जनहित में वह इस समस्या से गंभीरता से विचार कर राज्य सरकार को वहाँ नागरिक सुविधायें प्रदान करने की अनुमति दें।

#### Red-tapism in Government Companies

श्रीमती सरला माहेश्वरी : (पश्चिमी बंगाल) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकारी कम्पनियों में लालफीताशाही की जो बीमारी चल रही है उसके चलते देश को बेइतहा नुक-